IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विद्युत खण्ड–तृतीय
ऑफिस कॉम्पलैक्स, बी–ब्लॉक, द्वितीय तल, कल्याणपुर, कानपुर–208017
E-mail: ed3knp@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 : 2005

मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक 209 /वि0खं0–3, कानपुर/ G–6 / 44 दिनांक : 08-02-2018

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों/निर्माताओं द्वारा निम्न विवरणानुसार ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है जो कि ई–प्रीक्योरमेण्ट प्रणाली द्वारा खोली जायेंगी। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई–निविदा डाउनलोड करने की तिथि	तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेन्शियल बिड खुलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सूतमिल योजना, इटावा में निर्माणाधीन 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु निम्न सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य :–						
	(अ) 02 नग 5 एम.वी.ए. (33/11 के.वी.) क्षमता के परिवर्तकों की आपूर्ति का कार्य।	1.22	3000 +5% GST	04 माह	28.02.18	06.03.2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे	09.03.2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे
	(ब) 11 के.वी. पैनल्स की आपूर्ति का कार्य।(**Make- CROMPTON/ ABB/ BHEL)**	0.80	1500 +5% GST	04 माह	27.02.18	08.03.2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे	08.03.2018 को सायं 3.30 बजे

नियम एवं शर्तें :

1. निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान RTGS के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में अलग–अलग कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
   - Name of Holder : Executive Engineer, Electrical Division-III, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Kanpur
   - A/c No. : 40010100009877
   - IFSC Code : BARB0LAKHAN
   - Name of Bank : Bank of Baroda, Lakhanpur, Kanpur (U.P.)
2. निविदा प्रपत्र एन.आई.सी. की वेबसाइट **www.upavp.com** के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन की वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
3. उक्त निविदा ट्रासफार्मर के उन्हीं निर्माताओं की मान्य होगी, जिनके मेंक के ट्रांसफार्मर निर्माताओं द्वारा वांछित क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर सी0पी0आर0आई0 टेस्ट (विगत पाँच वर्षों में) प्राप्त की गयी हो एवं विगत पाँच वर्षों में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को सफलतापूर्वक सप्लाई किया जा रहा हो तथा वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड न हो तथा उक्त क्षमता/मेंक के ट्रांसफार्मरों की जी0टी0पी0 भी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा अनुमोदित हो जिन्हें निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रकाशनार्थ नहीं

1. निविदादाता को, निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, जमा करनी होगी।
2. फर्म की दरें निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी.सी. दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार जमा करने के पश्चात् अनुबन्ध गठित किया जाएगा।
3. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु रू0 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय रू0 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
4. समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
5. ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
6. निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
7. कार्य की मात्रा घट–बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

क्रमश.......2

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विद्युत खण्ड–तृतीय
ऑफिस कॉम्पलैक्स, बी–ब्लॉक, द्वितीय तल,
कल्याणपुर, कानपुर–208017
E-mail: ed3knp@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 : 2005

मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्रांक /वि0खं0–3, कानपुर/ / दिनांक :

9. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. निविदादाता को व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयकों से प्रभावी दरों पर GST, आयकर एवं अन्य कोई कर जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती/समायोजन नियमानुसार की जायेगी।
11. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
12. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी)के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी।
13. सक्षम अधिकारी को उक्त निविदा बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
15. सभी फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें।

(आवेश)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अधीक्षण अभियंता, विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को उक्त निविदा सूचना आवास विकास की अधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
4. सहायक अभियन्ता द्वितीय, विद्युत खण्ड– तृतीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि वे एक सप्ताह के अन्दर निविदा प्रपत्र तैयार कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी, विद्युत खण्ड– तृतीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
6. संबंधित अवर अभियन्ता श्री सुधाकर पाठक विद्युत खण्ड–तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
7. नोटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड– तृतीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
8. मेसर्स परफेक्ट पब्लिसिटी, 93/116 नई सडक, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि वे निविदा सूचना को कम से कम स्थान में कानपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" में निविदा सूचना को तीन दिन के अन्दर प्रकाशित कराने के उपरान्त भुगतान हेतु बिल द्विपर्ण में इस कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता